XII-18 (जेल) **CJ.P.R.**/9-94

दण्डित अपीलार्थी

दण्डित बंदी क्र. 261/55 नाम: मंगल सिंह पिता का नाम: राजू राजपूत

निवास: ग्राम- गौड़तारा, थाना बरमपुर, जिला- गंजम (उड़ीसा) उम्र: 35 वर्ष

दंडित किया गया: आजीवन कारावास की सजा - 25/7/97 को ।

अंतर्गत धारा: भारतीय दंड संहिता के धारा-302, 201 के अंतर्गत

द्वारा: प्रधान/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सकती

बंदी को यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि यदि वह स्वयं कथन देना चाहता है या किसी विधिक अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो अपीलीय न्यायालय सात दिवस की अवधि तक वाद की सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएगा, जब तक कि उक्त विधिक अधिवक्ता न्यायलय में प्रस्तुत न हो जाए। यदि विधिक अधिवक्ता सात दिवस के अवधि के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो सुने जाने का कोई अधकार नहीं रहेगा। यदि अधिवक्ता उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायलय वाद की सुनवाई तत्काल प्रारम्भ कर सकता है और ऐसे अधिवक्ता को, जो बाद में उपस्थित हो, चाहता हो, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. निर्णय की प्रति हेतु आवेदन की तिथि:
2. जिस तिथि को प्रति प्राप्त हुई: 25/7/97
3. जिस तिथि को अपील प्रेषित की गयी: 14/8/97
4. क्या बंदी प्रतिनिधित्व चाहता है या नहीं: हाँ

क्रमांक. 261/5 नाम: मंगल सिंह पिता राजू राजपूत निरुद्ध रखा गया: जिला जेल बिलासपुर मध्य प्रदेश क्रमांक: 253 अष्टकोण/97 दिनांक: 14/8/97, 199

मामले में पारित निर्णय या आदेश की एक प्रति के साथ इसे **रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश** को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि वह इसे उचित अपीलीय न्यायालय को प्रेषित करे।

अधीक्षक
जिला जेल बिलासपुर
कार्यालय

प्राप्ति की तिथि

साथ में संलग्न अभिलेख की प्राप्ति की तिथि अपीलीय न्यायालय में अपील का ज्ञापन

पंजीकरण क्रमांक दिनांक

अपीलीय न्यायालय में प्राप्ति की तिथि

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा,

दांडिक अपील क्र. 1926/1997

मंगल सिंह

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

20/11/2008

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता

सही /-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक: 21/11/2008 को सूचीबद्ध

मैं सहमत हूँ

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा,

दांडिक अपील क्र. 1926/1997

अपीलार्थी: मंगल सिंह पिता-राजू राजपूत, आयु-35 वर्ष, निवासी ग्राम- गौड़तारा, थाना बरमपुर, जिला- गंजम (उड़ीसा)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) माध्यम से- थाना- जैजैपुर, जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित: श्री अभय तिवारी, अपीलार्थी के अधिवक्ता ।

श्री आशीष शुक्ला, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

(21.11.2008)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा सुनाया गया।

(1) अपीलार्थी मंगल सिंह को धारा 302 और 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया और उसे सत्र प्रकरण क्र.-463/96, दिनांक-25.7.1997 में अपर सत्र न्यायाधीश, सकती, जिला बिलासपुर द्वारा आजीवन सक्षम कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने तथा 1 वर्ष सक्षम कारावास और 250/- रुपये के जुर्माने की दंडादेश सुनाई गई।

(2) मृतका ज्योति बाई अपीलार्थी की पत्नी थी। दोनों जैजैपुर थाने के पास बिर्रा गाँव में स्थित सरोजा सर्कस में काम करते थे। 4 अक्टूबर 1996 को दोपहर लगभग 12 बजे अपीलार्थी और मृतका के बीच बच्चे को नहलाने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद मृतका कैंप छोड़कर कहीं चली गई। जब अपीलार्थी और तेरस नामक एक व्यक्ति ने उसकी तलाश की, तो वह एक कुएँ के पास बैठी हुई मिली। अगले दिन मृतका का शव कुएँ में मिला।

(3) अपीलार्थी द्वारा थाना जैजैपुर में मर्ग सूचना (प्र.पी-13) दर्ज कराई गई थी। अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचों को सूचना (प्र.पी-6) दी और मृतका के शव पर मृत्यु-समीक्षा (प्र.पी-7) तैयार की। मृतका के शव को शव परिक्षण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैजैपुर भेजा गया, जहां दो डॉक्टरों डॉ. (श्रीमती) एस. कच्छा (अभि०सा०-9) और डॉ. जे.सी. मेश्राम की टीम ने शव परिक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्र.पी-9) तैयार की। उन्होंने देखा कि नाक से झाग निकल रहा था; नाखून नीले पड़ गए थे; श्वासनली बहुत अधिक भरी हुई थी और फेफड़े लाल हो गए थे। आगे की परिक्षण में उन्होंने पाया कि मृतका की कष्ठिका हड्डी टूटी हुई थी और लगी चोट मृत्युपूर्व प्रकृति की थी। उन्होंने कहा कि मौत का कारण दम घुटना था, जो संभवतः गला घोंटने से हुआ होगा और यह प्रकृति में मानव वध थी। उन्होंने विसरा भी सुरक्षित रखा और आगे की परिक्षण का सुझाव दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अभियुक्त/अपीलार्थी को अभिरक्षा में लेने के बाद आगे की अन्वेषण में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका ज्ञापन (प्र.पी-1) 17.10.96 को दर्ज किया गया, जिससे मृतका की चप्पलें मिलीं, जिसके अनुसरण में, (प्र.पी-2) के तहत कुएं के पास एक धान के खेत से अपीलार्थी की निशानदेही पर पुरानी चप्पलों की एक जोड़ी जब्त की गई। (प्र.पी-11) के तहत साइट योजना तैयार किया गया, आगे की परिक्षण के लिए संरक्षित विसरा (प्र.पी-16) के तहत जब्त किया गया। विसरा सहित जब्त की गई वस्तुओं को (प्र.पी-17) के तहत न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर (मप्र) में रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था, लेकिन एफएसएल, सागर में विसरा मामलों

की बड़ी संख्या में लंबित होने के कारण विसरा की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकी, जिसकी सूचना संबंधित पुलिस अधिकारी को प्र.-पी/23 के तहत प्रदान की गई। मर्ग की अन्वेषण के आधार पर अपीलार्थी के खिलाफ प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी-21) दर्ज की गई।

(5) सामान्य अन्वेषण पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सकती की न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया कि अपीलार्थी ने मृतका की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को कुएं में फेंक दिया, जिससे हत्या के अपराध के सबूत गायब हो गए और अपराध को छिपाने के लिए पुलिस को झूठी सूचना दी।

(6) मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय को सौंप दिया, जहां से इसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती द्वारा स्थानांतरित किया गया, जिन्होंने विचारण की और अभियुक्त/अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध ठहराया और दंडादेश सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) बेशक, इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि पारिस्थितिक साक्ष्यों पर आधारित है। मुख्य परिस्थितियाँ, जिन पर विचारण न्यायालय ने विचार किया है, वे हैं:-

> **(i)** पति-पत्नी के बीच किसी झगड़े के कारण, पत्नी सर्कस के शिविर से निकलकर कुएँ की ओर चली गई और
>
> **(ii)** अपीलार्थी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत एक प्रकटीकरण ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी पत्नी की चप्पलें मिलीं, जिसमें उसने अपनी पत्नी की हत्या के बारे में भी कथन दिया।

(8) आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी के ज्ञापन के प्रारंभिक भाग को, जिसमें उसने अपनी पत्नी की हत्या के बारे में कथन दिया था, उसकी स्वीकारोक्ति माना है तथा चप्पल जब्त होने तथा पति-पत्नी के बीच पूर्व में हुए झगड़े की परिस्थितियों के साथ इसे उसके विरुद्ध मुख्य परिस्थिति माना है।

(9) हम विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण को देखकर आश्चर्यचकित हैं। धारा 27 के आवश्यक तत्व यह हैं कि अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी से उस तथ्य का पता चल सकता है जो ऐसी जानकारी का प्रत्यक्ष परिणाम है और दी गई जानकारी का केवल वह भाग, जो तथ्य के पता चलने से स्पष्ट रूप से जुड़ा है, साक्ष्य में लिया जा सकता है और तथ्य का पता अपराध के होने से संबंधित होना चाहिए। धारा 27 को लागू करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलने पर साक्ष्य दी जानी चाहिए, और उसके बाद उतनी जानकारी साबित की जा सकती है जितनी कि उसके द्वारा पता लगाए गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है। धारा 27 के आवेदन के लिए, स्वीकार्य भाग को अलग करने के लिए कथन को उसके घटकों में विभाजित किया जाना चाहिए। केवल वे घटक या भाग जो खोज का तत्काल कारण थे, विधि साक्ष्य होंगे और बाकी नहीं जिन्हें हटाया और खारिज किया जाना चाहिए। इसलिए, अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में रहते हुए दिए गए संस्वीकृति को साक्ष्य से बाहर रखा जाना चाहिए, केवल प्रकटीकरण वाले हिस्से को छोड़कर, क्योंकि वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होगा। हमारे विचार से, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रकटीकरण ज्ञापन दर्ज करते समय अपीलार्थी द्वारा की गई तथाकथित स्वीकृति/संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश देकर कानूनी भूल की है और उपरोक्त तथ्य अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अभियोगात्मक परिस्थिति नहीं बन सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) जहाँ तक अपीलार्थी के कहने पर धान के खेत से चप्पलें जब्त करने की परिस्थिति का सवाल है, अभियोजन पक्ष के लिए यह कोई मायने नहीं रखता। पहली बात तो यह कि जब्ती एक खुले स्थान से की गई थी और दूसरी बात, अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि उक्त चप्पलें मृतका की थीं।

(11) हम पति-पत्नी के बीच झगड़े की परिस्थिति को अभियोगात्मक परिस्थिति नहीं मानते क्योंकि अभियोजन पक्ष का ही मामला है कि अक्सर वे छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते थे

और पत्नी कुछ समय के लिए पति का साथ छोड़ देती थी। इस बार भी, बच्चे को नहलाने के विवाद के कारण वह पति का साथ छोड़ गई और तलाश करते हुए अपीलार्थी ने देखा कि वह गाँव में एक कुएं के पास बैठी है। यह अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोगात्मक कैसे हो सकता है?

(12) हनुमंत गोविंद नरगुंडकर एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, [ए.आई.आर 1952 एस.सी 343] में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि "यह याद रखना उचित है कि जिन मामलों में साक्ष्य पारिस्थितिक प्रकृति के होते हैं, उनमें जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, वे सर्वप्रथम पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। पुनः, परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि सिद्ध किए जाने वाले को छोड़कर शेष सभी परिकल्पनाओं को खारिज कर दें। दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त के निर्दोष होने के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह ऐसी होनी चाहिए कि यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) धनंजय चटर्जी विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य [(1994) 2 एस.सी.सी 22] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि " पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें न केवल पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति की हों और केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप हों। उन परिस्थितियों को अभियुक्त के दोष के अलावा किसी अन्य परिकल्पना द्वारा समझाया नहीं जा सकता और साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त के निर्दोष होने के अनुरूप विश्वास के लिए कोई उचित आधार न बचे। यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि कानूनी रूप से स्थापित परिस्थितियाँ, न कि केवल न्यायालय का आवेश, दोषसिद्धि का आधार बन सकता है और अपराध

जितना गंभीर होगा, साक्ष्य की जाँच करने में उतनी ही अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि संदेह प्रमाण का स्थान ले ले।"

(14) बोध राज उर्फ बोध एवं अन्य विरुद्ध जम्मू-कश्मीर राज्य, [ए.आई.आर 2002 एस.सी 3164] में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर हो सकती है, लेकिन पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि से पहले की पूर्व स्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। वे हैं:

1) जिन परिस्थितियों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य' या 'होनी चाहिए' स्थापित होनी चाहिए, न कि 'हो सकती हैं' के रूप में होनी चाहिए;

2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषसिद्धि की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती;

3) परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

4) साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर, उनमें हर संभावित परिकल्पना को बाहर रखा जाना चाहिए; और

5) साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त के निर्दोष होने के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाए कि मानवीय दृष्टि से यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) सर्वोच्च न्यायालय ने **गोवा राज्य विरुद्ध संजय ठाकरान एवं अन्य (2007 (4) एस.बी.आर 321)** के मामले में भी लगभग ऐसा ही विचार व्यक्त किया था। उक्त निर्णय

पारित करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने *बोध राज मामले (पूर्वोक्त)* के निर्णय का भी उल्लेख किया था।

(16) यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो हमें अपीलार्थी के विरुद्ध कोई भी ऐसा पारिस्थितिक साक्ष्य नहीं मिलता जिससे उसके अपराध का निष्कर्ष निकाला जा सके। हमारे सुविचारित मत में, अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेह से परे अपीलार्थी के अपराध को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धाराओं के तहत दोषसिद्धि ठहराकर विधिक त्रुटि पारित की है।

(17) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि और अधिरोपित सजाएँ निरस्त की जाती हैं। उसे उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी 17.10.96 से जेल में है क्योंकि वह इस न्यायालय द्वारा 15.3.2004 को सजा के निलंबन और जमानत देने का आदेश पारित होने के बाद भी जमानत बंधपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

मुख्य न्यायाधीश

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By - ADV. ANANDITA PRATHNA BEHRA